न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी सुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 113 / 2024

वाद दायरी दिनांक :– 06.09.2024

राकेश पुत्र स्व. शंकर जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू।

वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र फुलाराम जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू।

2. संजय पुत्र फुलाराम जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू ।

3. सन्तरा पुत्री फुलाराम जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

4 लक्ष्मी पुत्री फुलाराम जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

5.मुन्नी पुत्री फुलाराम जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

6. रूकमणी स्त्री फुलाराम जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

7. मुकेश कुमार पुत्र मामराज एवं द्रोपती जाति नायक निवासी वार्ड नं. 1 जीत नगर झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

8संजय पुत्र मामराज एवं घोपती जाति नायक निवासी वार्ड नं 1 जीत नगर शुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं।

9 सुमित्रा पुत्री मामराज एवं दोपती स्त्री गोपाल जाति नायक निवासी चुडी चतरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

10सुनिता पुत्री मामराज एवं द्रोपती स्त्री रमेश कुमार जाति नायक निवासी वार्ड नं. 1 मोहल्ला नायकान राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चुरु

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

11 [illegible] पुत्री मामराज एवं द्रोपती स्त्री द्वारकाप्रसाद जाति नायक निवासी जांटवाली [illegible] धनरपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू

12 तारामणी स्त्री भंवरलाल जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू।

13 राहुल पुत्र भंवरलाल जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू।

14 छोटूराम पुत्र मोहन जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

15 संतोष स्त्री स्व. शंकर जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

16. विनोद पुत्र स्व. शंकर जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

17. प्रभाती स्त्री स्व. बालचन्द जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

18– राजकुमार पुत्र स्व. बालचन्द जाति नायक निवासी मोहल्ला नायकान मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं ।

19.बबली पुत्री बनारसीदेवी स्त्री लक्ष्मणराम जाति नायक निवासी मकान नं. 166 गली नं. 7 एम सुर्या विहार पार्ट 2 अमरनगर फरीदाबाद (हरियाणा) पिनकोड 2121003

20 गीता पुत्री बनारसी देवी स्त्री मंगल जाति नायक निवासी रेल्वे स्टेशन के पास मंगल कोलोनी चूरू तहसील व जिला चूरू।

21 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 15.05.2025

ड अधिकारी

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जमीन गत ख.नं. 126 तादादी 12 वीघा 2 बिश्वा सरहद राजस्व ग्राम तेतरा तहसील झुन्झुनू में स्थित है। जमीन गत खसरा नम्बर 126 तादादी 12 बीघा 2 विश्वा जमीन में से 18 विश्वा जमीन सड़क मे जाने के बाद निम्न प्रकार खातेदारी की जमीन सरहद राजस्व ग्राम तेतरा तहत तहसील झुन्झुनूं मे स्थित है

गत खसरा नम्बर	तादादी
126 / 1	2 बीघा 8 विश्वा
126 / 3	8 बीघा 16 विश्वा

कुल किता - 3 कुल तादादी 11 बीघा 4 बिस्वा

उक्त जमीन के डीजाने पैमाईश हाल खसरा नम्बर निम्न प्रकार बने है:-

हाल खसरा नम्बर

[illegible]	क्षेत्रफल
[illegible]	2.22 हैक्टेयर
कुल किता 2	0.61 हैक्टेयर
	कुल तादादी 2.83 हैक्टेयर

यह कि जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र का पहले खातेदार हनुमानीया उर्फ हनुमान पुत्र रामदेवा जाति नायक निवासी मावा था। उक्त हनुमान व उसकी स्त्री का देहान्त हो चुका है। उक्त हनुमान के चार पुत्र फुलाराम, मोहन, शंकर, बालचन्द व दो पुत्रियां द्रोपती व बनारसी पैदा हुये।उक्त हनुमान के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र उत्तराधिकार मे संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर उसके उपरोक्त चारो पुत्र व दोनो पुत्रियों को प्राप्त हुई। इस प्रकार वाद पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित जमीन मे उक्त हनुमान के प्रत्येक पुत्र व पुत्रियों का 1/6 हक हिस्सा हुआ।उक्त हनुमान के पुत्र प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत के देशान्त होने के बाद जमीन फुलाराम का देहान्त हो चुका है फुलाराम को वारिस है। उक्त फुलाराम वर्णित धारा 2 नाव पत्र में से उसके 1/6 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में संयुक्त रूप से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 को प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रतिवादीगण नम्बर लगायत प्रत्येक का उक्त विवादित जमीन में 1/6 एक हिस्सा हुआ।उक्त हनुमान के पुत्र मोहन व उसकी स्त्री रामदेवी का भी देहान्त हो चुका है। उक्त मोहन के दो पुत्र भंवरलाल व छोटूराम पैदा हुये। उक्त मोहन के देहान्त होने के बाद विवादित्त जमीन में उसके 1/6 हक हिस्से की जमीन उसके पुत्र भंवरलाल व प्रतिवादी नं. 14 छोटूराम को प्राप्त हुए। इस प्रकार विवादित जमीन मे भंवरलाल व प्रतिवादी नं. 14 प्रत्येक का 1/12 हक हिस्सा हुआ।उक्त मोहन के पुत्र भंवरलाल का भी देहान्त हो चुका है। भंवरलाल का हिस्सा उत्तराधिकार मे प्रतिवादी नं. 12 व 13 को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ।उक्त हनुमान के पुत्र शंकर का भी देहान्त हो चुका है। वादी व प्रतिवादी नं. 15 व 16 उक्त शंकर के वारिस है। उक्त शंकर के देहान्त होने के बाद विवादित जमीन मे से उसके 1/6 हक हिस्से की जमीन वादी व प्रतिवादीगण नं. 15 व 16 को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई। इस प्रकार विवादित जमीन मे वादी व प्रतिवादी नम्बर 15 व 16 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा हुआ।उक्त हनुमान के पुत्र बालचन्द का भी देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी नं. 17 व 18 उक्त बालचन्द के वारीस है। बालचन्द के देहान्त होने के बाद उसके 1/6 हक. हिस्से की जमीन उत्तराधिकार मे प्रतिवादी नं. 17 व 18 को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 17 व 18 प्रत्येक का विवादित जमीन मे 1/12 हक हिस्सा हुआ।वाद पत्र की मद 2 में वर्णित जमीन मे हनुमान की पुत्री द्रोपती का 1/6 हक हिस्सा था। द्रोपती का दिनांक 18.08.2018 को देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 स्व. द्रोपती के वारिस है। प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 की माता द्रोपती के देहान्त होने के बाद वाद पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित जमीन मे प्रत्येक 1/6 हक हिस्से की जमीन सयुंक्त रूप से उत्तराधिकार मेउक्त हनुमान के पुत्र प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत के देशान्त होने के बाद जमीन फुलाराम का देहान्त हो चुका है फुलाराम को वारिस है। उक्त फुलाराम वर्णित धारा 2 नाव पत्र में से उसके 1/6 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार में संयुक्त रूप से

प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 को प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रतिवादीगण नम्बर लगायत प्रत्येक का उक्त विवादित जमीन में 1/6 एक हिस्सा हुआ।उक्त हनुमान के पुत्र मोहन व उसकी स्त्री रामदेवी का भी देहान्त हो चुका है। उक्त मोहन के दो पुत्र भंवरलाल व छोटूराम पैदा हुये। उक्त मोहन के देहान्त होने के बाद विवादित जमीन में उसके 1/6 हक हिस्से की जमीन उसके पुत्र भंवरलाल व प्रतिवादी नं 14 छोटूराम को प्राप्त हुए। इस प्रकार विवादित जमीन मे भंवरलाल व प्रतिवादी नं. 14 प्रत्येक का 1/12 हक हिस्सा हुआ।उक्त मोहन के पुत्र भंवरलाल का भी देहान्त हो चुका है। भंवरलाल का हिस्सा उत्तराधिकार मे प्रतिवादी नं. 12 व 13 को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। उक्त हनुमान के पुत्र शंकर का भी देहान्त हो चुका है। वादी व प्रतिवादी नं. 15 व 16 उक्त शंकर के वारिस है। उक्त शंकर के देहान्त होने के बाद विवादित जमीन मे से उसके 1/6 हक हिस्से की जमीन वादी व प्रतिवादीगण नं. 15 व 16 को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई। इस प्रकार विवादित जमीन मे वादी व प्रतिवादी नम्बर 15 व 16 का प्रत्येक का 1/18 हक हिस्सा हुआ।उक्त हनुमान के पुत्र बालचन्द का भी देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी नं. 17 व 18 उक्त बालचन्द के वारीस है। बालचन्द के देहान्त होने के बाद उसके 1/6 हक हिस्से की जमीन उत्तराधिकार मे प्रतिवादी नं. 17 व 18 को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 17 व 18 प्रत्येक का विवादित जमीन मे 1/12 हक हिस्सा हुआ।वाद पत्र में वर्णित जमीन मे हनुमान की पुत्री द्रोपती का 1/6 हक हिस्सा था। द्रोपती का दिनांक 18.08.2018 को देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 स्व. द्रोपती के वारिस है। प्रतिवादीगण नं. 7 लगायत 11 की माता द्रोपती के देहान्त होने के बाद वाद पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित जमीन मे प्रत्येक 1/6 हक हिस्से की जमीन सयुंक्त रूप से उत्तराधिकार मेकिसे प्राप हुई। इस प्रकारगीनर्मितपत्र वादीगण प्रत्येक की 1/30 एक हिस्सा हुआ। प्रतिवादीका अनुसार अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज काश्त है। हनुमान की पुत्री बनारसी का भी देहान्त हो चुका है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में हनुमान की पुत्री बनारसी का 1/6 एक हिस्सा था। प्रतिवादी नं. 19 व 20 उक्त बनारसी के वारिस है। प्रतिवादी नं 19 व 20 की माता बनारसी का देहान्त होने के बाद उसके 1/8 हक हिस्से की जमीन संयुक्त रूप से उत्तराधिकार में प्रतिवादी नं 19 व 20 को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई। इस प्रकार जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र मे प्रतिवादी नं. 19 व 20 प्रत्येक का 1/12 हक हिस्सा हुआ। प्रतिवादी नं. 19 व 20 उपरोक्त अनुसार अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज काश्त है। जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 20 की पैत्रिक सम्पति है। वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 20 के पूर्वज हनुमान के देहान्त होने के बाद जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र के सम्बन्ध मे विरासतन नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 04.06.1959 को पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर किसी रेखसिंह नामक अधिकारी या सरपंच द्वारा सन 1959 मे मंजूर किया जाना दर्शित होता है। नामान्तरकरण संख्या 53 के कोलम नं. 16 मे पटवारी हल्का ने लिखा है कि हनुमान मर चुका है। इसका लड़का फुला के नाम इन्तकाल लिखा हे कि हनुमान मर चुका है। इसका लड़का फुला के नाम इन्तकाल भरकर पेश है। नामान्तरकरण संख्या 53 हनुमान के पुत्र फुला अकेले के नाम गलत रूप से भरकर स्वीकृत किया गया है। वाद पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित अनुसार हनुमान के चार पुत्र तथा दो पुत्रियां पैदा हुई। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक उक्त हनुमान के उपरोक्त चारो पुत्रो एवं दोनो पुत्रियों के हक मे कानूनन नामान्तरकरण संख्या 53 स्वीकृत करना चाहिये था। नामान्तरकरण संख्या 53 रेवेन्यू रूल्स एवं कानून नहीं स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण संख्या 53 पर कानूनन हनुमान की वंश

अधिकारी
दावा

वंशावली अंकित करनी चाहिये थी। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 53 के कॉलम नं 16 मे हनुमान का अकेला पुत्र फुला के होने की टिप्पणी गलत रूप से की है। उक्त टिप्पणी पटवारी हल्का ने फुला से मिलकर गलत की है। कानून से उक्त हनुमान के देहान्त होने के बादविरासतन इन्तकाल उसके चारो पुत्री एवं उसकी दोनों पुत्रियों के हक में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर रूप से भरकर स्वीकृत किया जाना चाहिये था। नामाकरण और बहस पर मंजूर की तारीख अंकित नहीं है तथा ना ही स्वीकृत करने वाले व्यक्ति के पद व हैसियत का उल्लेख है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 53 अवैध व शून्य है। उका नामानारकरण संख्या 53 व इसके आधार पर फुला के नाम जमीन और बहस का जो तमाम राजस्व रिकॉर्ड बना है वह भी प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोईड है। नामान्तरकरण संख्या 53 एवं इसके आधार पर बना गलत राजस्व रिकॉर्ड वादी एवं प्रतिवादीगण 7 लगायत 20 के हक हकूक के विरूद्ध अवैध व शून्य है। फुला अकेले के नाम बने गलत राजस्व रिकॉर्ड से वादी पावन्द नही है। गलत राजस्व रिकॉर्ड वादी के हक हकूक पर निष्प्रभावी है। नामान्तरकरण संख्या 53 फुला अकेले के हक मे गलत रूप से बिना अधिकार के स्वीकृत किया गया है।हनुमान के देहान्त होने के बाद उसके चारो पुत्रो एवं दोनो पुत्रियों का संयुक्त परिवार था तथा एक साथ सामुहिक रूप से रहकर जमीन जैर बहस को पअनी हक हिस्सा के मुताबिक शामलाती रूप से काश्त करते थे विधान सभा मण्डावा की निर्वाचन नामावली सन 1966 की मतदाता सूची के भाग संख्या 127 के मकान नम्बर 190 के क्रम संख्या 245 से 250 तक अणची स्त्री हनुमान तथा फुला पुत्र हनुमान एवं शंकर पुत्र हनुमान व मोहन पुत्र हनुमान व अन्य का शामलाती नाम दर्ज है। विधान सभा मण्डावा की मतदाता सूची सन् 1975 के भाग संख्या 136 के मकान नं. 190 के क्रम संख्या 270 से 275 तक सन् 1966 की मतदाता सूची अनुसार नाम दर्ज है सन् 1980 की मण्डावा विधान सभा की मतदाता सूची के भाग संख्या 89 के मकान नं. 190 के क्रम संख्या 275 से 280 में उपरोक्त अनुसार दर्ज है। हनुमान का पुत्र बालचन्द मजदुरी के सिलसिले में बाहर मुम्बई रहता था इस कारण उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नही है। हनुमान के पुत्र बालचन्द का मतदाता पहचान पत्र है जिसमें बालचन्द पुत्र हनुमानप्रसाद दर्ज है। इसी प्रकार शंकर पुत्र हनुमान प्रसाद नाम का परिवार राशन कार्ड बना हुआ है एवं मतदाता पहचान पत्र बना हुआ हैतथा मृत्यु प्रमाण पत्र में भी शंकर पुत्र हनुमान दर्ज है। मोहन पुत्र हनुमान के हक में पासपोर्ट बना है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र काणे महानगर पालिका ढाणे में मोहन पुत्र हुनमान नाम दर्ज है। उपरोक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि उक्त हनुमान के पुत्र फुला के अलावा तीन पुत्र व दो पुत्री और है जो सभी फुला के साथ साथ हनुमान के वारिस है।यह कि वाद पत्र की धारा में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 की कोटिनेन्सी की भूमि है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि को अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है व अपने हिस्से के अनुसार भूमि को अपनी सहुयित से काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है काश्त करते समय कई बार सीमा व काश्त को लेकर भी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 के मध्य मनमुटाव व झगड़ा होता रहता है। वादी अपने हक हिस्से की भूमि में भूमि सुधार करवाना चाहता है जिसके चलते वादी ने प्रतिवादी नं. 1 लगायत 20 को रिकार्ड दुरूस्त व विधिवत बंटवारा करवाने के लिए निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण विभाजन व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का वादी का को आश्वासन देते रहे है दिनांक 28.08.2024 को वादी ने प्रतिवादीगण को रिकार्ड दुरूस्त व विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने रिकार्ड दुरूस्त व विभाजन करवाने से

गाड अधिकारी

साफ–साफ इन्कार कर दिया तथा कहा कि तुमे कोई हिस्सा नही मिलेगा। उक्त भूमि हमारे पूर्वज की है तथा प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तथा कह कि हम उक्त भूमि को भू–माफियाओं को विक्रय करेंगे। इसलिए वादी को अपने अधिकार व हक हकूको की रक्षार्थ हेतु न्यायालय के समक्ष यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।वादी गरीब व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर से वादी को जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे है वादी के हिस्से की भूमि को जबरन भू–माफियाओं को विक्रय करने की धमकी दे रहे है तथावादी को उसके हिस्से की भूमि मे कब्जा काश्त मे दखल दे रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पानन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी पेशकर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री इस अमर की फरमाई जावे कि रू–

(क) यह कि वाके ग्राम तेतरा पटवार हल्का तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता सख्या 92 हाल खसरा नम्बर 133 रकबा 2.22 हैक्टर, खं.नं. 268 रकबा 0.61 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.83 हैक्टर स्थित है में से वादी को 1/18 हिस्से का व प्रतिवादी नं. 15 व 16 को प्रत्येक को 1/18, 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख). वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 20 को वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 हक हिस्से के अनुसार विधिवत बंटवारा कर अलग–अलग लगान व अलग–अलग खसरा कायम कर खाता विभाजन कर समस्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी संख्या 21 को आदेशित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोंई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। 01 लगायत 06 व 12 लगायत 19 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गई। प्रतिवादी 007 व 12 की ओर से अभिभाषक ने वकालतनाम पेश किया परन्तु जबाब देही के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरानत भी जबाब दावा पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

वाद की ओर से साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिस पर दस्तावेजात प्रर्दश 01 जमावन्दी सम्वत 2012, प्रर्दश 2 जमाबन्दी 2026–30, प्रर्दश–3 जमाबन्दी सम्वत 2044–47, प्रर्दश– 4 जमाबन्दी सम्वत 2031–34 प्रर्दश –5 जमाबन्दी सम्वत 2023–26, प्रर्दश–6 जमाबन्दी सम्वत 2039–42, प्रर्दशः– 07 2015, प्रर्दश 8 नामान्तरण, प्रर्दशित करवाये गयं।

विद्वान अधिवक्ता की आम सहमती से वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जकार अन्तिम डिकी जारी की जाकर निर्देश दिया जावे।

विधि में भूमि के धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा व विभाजन का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में पूर्व में खातेदार हनुमान के नाम रही है। फौतगी नामान्तरकरण 53 दिनांक 04.06.1959 के द्वारा मृतक खातेदार हनुमान के पुत्र फूलाराम के नाम से भरा गया है। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजरे के अनुसार मृतक खातेदार हनुमान के चार पुत्र एंव 02 पुत्रिया है। अतः हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम तेतरा तहसील मण्डावा के ख.न. 133 रकबा 2.22 हैक्टर, ख.न. 268 रकबा 0.61 हैक्टर, में दर्ज समस्त खातेदारन का हिस्सा हजफ कर उक्त वादग्रसत भूमि में निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादी न0 15 व 16 को 1/6 हिस्से का संयुक्त रूप से , प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 1/6 हिस्से का संयुक्त रूप से , प्रतिवादी 07 लगायत 11 को 1/6 हिस्से का संयुक्त रूप से , प्रतिवादी न0 12 व 13 को 1/12 हिस्से का संयुक्त रूप से , प्रतिवादी न0 14 को 1/12 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 17 व 18 को 1/6 हिस्से का संयुक्त रूप से , प्रतिवादी न0 19 व 20 को 1/6 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05..2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी,